भारतीय विमानपत्तन प्राधिक
AIRPORTS AUTHORITY OF INI

SAFD/NORTH/B/040821/538

AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2021/156/647-650

मालिक का नाम एवं पता OWNERS Name & Address	CHAMBAL TRADING PVT. LTD. TERRACE FLOOR, TOWER A THE CORENTHUM, A-41 SECTOR 62, NOIDA 201301	दिनांक/DATE: वैधता/ Valid Up to:	03-05-2021 02-05-2029

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

1). यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	SAFD/NORTH/B/040821/538831
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Rampal Singh
स्थल का पता / Site Address*	CHAMBAL TRADING PVT. LTD., A-37 AND 38 SECTOR 62, NOIDA 201301,NOIDA,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 37 33.60N 77 22 08.07E, 28 37 35.58N 77 22 08.11E, 28 37 40.07N 77 22 08.17E, 28 37 33.56N 77 22 11.70E, 28 37 40.02N 77 22 12.30E, 28 37 33.52N 77 22 15.44E, 28 37 37.55N 77 22 15.50E, 28 37 39.99N 77 22 15.54E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	201.66 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	300.66 M

*** जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant***

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticate the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

For Anand Habitat Infrastructure

Authorised Signatory

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 , के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है ।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरैस्टर, सीढ़िया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए ।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए ।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

.) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो । विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी |

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा ।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रृंखला 'बी' पार्ट I सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी ।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport,Jewar,Meerut,Rohini Heliport,Safdarjung Airport,Sikandrabad विमानक्षेत्रो के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रो और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रो, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग-1), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है ।

.. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport,Jewar,Meerut,Rohini Heliport,Safdarjung Airport,Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule – III, Schedule – IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा |

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी |

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.

Auth... ...ry

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकर
AIRPORTS AUTHORITY OF IND

SAFD/NORTH/B/040821/5388

AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2021/156/647-650

मालिक का नाम एवं पता OWNERS Name & Address	CHAMBAL TRADING PVT. LTD. TERRACE FLOOR, TOWER A THE CORENTHUM, A-41 SECTOR 62, NOIDA 201301	दिनांक/DATE: वैधता/ Valid Up to:	03-05-2021 02-05-2029

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।
1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	SAFD/NORTH/B/040821/538831
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Rampal Singh
स्थल का पता / Site Address*	CHAMBAL TRADING PVT. LTD., A-37 AND 38 SECTOR 62, NOIDA 201301,NOIDA,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 37 33.60N 77 22 08.07E, 28 37 35.58N 77 22 08.11E, 28 37 40.07N 77 22 08.17E, 28 37 33.56N 77 22 11.70E, 28 37 40.02N 77 22 12.30E, 28 37 33.52N 77 22 15.44E, 28 37 37.55N 77 22 15.50E, 28 37 39.99N 77 22 15.54E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	201.66 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	300.66 M

*** जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant***

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।
a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।
c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।
d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037, दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110037 Tel: 91-11-25653566
" हिंदी पत्रों का स्वागत है।"

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली—110025
JAMIA MILLIA ISLAMIA
NAAC Accredited 'A' Grade
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

Phone (Office) : 011-26985227
26981717 (Ex 2312)
Phone (Personal) : 9810984903
26981717 (Ex 2318)
Email : kmoin_ci@hotmail.com
kmoin@jmi.ac.in
Website : www.jmi.ac.in

सिविल इंजीनियरिंग विभाग
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering & Technology

Ref No: 2021/4052

Dated 07.04.2021

Subject: Proof checking of structure drawing and design of proposed IT/ITES Building for M/s Chambal Trading Pvt. Ltd. at Plot No. A-37 & 38, Sector 62, Noida (U.P).

This is to certify that the structural drawings and design submitted for proposed **IT/ITES Building** at Plot No. A-37 & 38, Sector 62, Noida (U.P), with the area details are as follows:

S.NO	FLOORS	(FAR)	(15% SERVICES AREA)	(NON FAR)	(COVD. AREA)
1	Lower Basement	-	248.00	17330.00	17578.00
2	Upper Basement	-	2130.00	15448.00	17578.00
3	Ground Floor	5557.03	307.71	-	5864.74
4	1st Floor	4231.27	307.71	139.28	4678.26
5	2nd Floor	3897.05	373.92	490.12	4761.09
6	3rd Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
7	4th Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
8	5th Floor	3069.69	702.68	455.92	4228.29
9	6th Floor	3069.69	294.98	455.92	3820.59
10	7th Floor	3069.69	294.98	455.92	3820.59
11	8th Floor (Service Floor)	-	-	3377.11	3377.11
12	9th Floor	3069.69	702.68	455.92	4228.29
13	10th Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
14	11th Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
15	12th Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
16	13th Floor (Service Floor)	-	-	3749.26	3749.26
17	14th Floor	3208.74	294.98	455.92	3959.64
18	15th Floor	3208.74	294.98	455.92	3959.64
19	16th Floor	3208.74	294.98	455.92	3959.64
20	17th Floor	3208.74	563.63	455.92	4228.29
21	18th Floor (Service Floor)	-	-	3749.26	3749.26
22	19th Floor	3441.84	294.98	490.12	4226.94
23	20th Floor	549.40	36.24	65.39	651.03
24	Mumty & Machine Room	-	378.75	-	378.75
	Total Area	**59999.51**	**8996.10**	**50936.50**	**119932.11**

has been checked and found to be confirming to relevant Codes of practice as per the latest Indian Standards. All the stipulated combination of loads (static and dynamic) in vertical and lateral direction has been incorporated in the analysis and design. The design and drawings have been checked and found to be satisfactory. Hence they are approved.

The responsibility of the Jamia Millia Islamia shall be limited to proof checking of the structure design calculation and drawing only. All procedural/legal operational matters and architect/functional details will be the responsibility of the owner/owners.

Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. KHALID MOIN
Professor
Deptt. of Civil Engineering
F/O Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2021/31806/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/9283/DD**
दिनांक:**27-05-2021**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **CHAMBAL TRADINGS PVT. LTD.** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **A 37 38,SECTOR 62,NOIDA** तहसील - **NOIDA** प्लाट एरिया **40000 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **112757.70** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
0	20	2	85.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **CHAMBAL TRADINGS PVT. LTD.** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Business** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **CHAMBAL TRADINGS PVT. LTD.** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **31-05-2021**
स्थान : **MEERUT**

Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)
[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]
31-05-2021

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Acknowledgement Slip for EC application

This is to acknowledge that the proposal has been successfully uploaded on the portal of the Ministry. The proposal shall be examined in the Ministry to ensure that required information has been submitted. An email will be sent seeking additional information , if any, within 20 working days. Once verified, an acceptance letter shall be issued to the propject proponent .

Following should be mentioned in further correspondence

1. Proposal No.	:	SIA/UP/MIS/220198/2021
2. Category of the Proposal	:	INFRA-2
3. Name of the proposal	:	Proposed IT/ITES Park At Plot no. A-37-38, Sector-62, Noida, Uttar Pradesh by M/s Chambal Trading Pvt. Ltd.
4. Date of Receipt of Proposal	:	15 Jul 2021

5. Name of the Project proponent along with contact details

a) Name of the proponent	:	M/S CHAMBAL TRADINGS PRIVATE LIMITED
b) State	:	Uttar Pradesh
c) District	:	Gautam Buddha Nagar
d) Pincode	:	201301

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory